रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122020-223713 CG-DL-E-18122020-223713

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3995] No. 3995] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2020/अग्रहायण 24, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2020/AGRAHAYANA 24, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4549(अ).—केंद्रीय सरकार, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केन्द्रीय मॉडल नियम, 2006 का, उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, निम्नलिखित मॉडल नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केंद्रीय मॉडल नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, संदर्भ से जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) अभिप्रेत है ;
 - (ख) "अभिकरण" से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अभिप्रेत है ;
 - (ग) "नियंत्रक प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है ;
 - (घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;
 - (ङ) "अनुज्ञप्ति" से अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

6122 GI/2020 (1)

- (च) इन विनियमनों में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में है।
- 3. अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन.- (1) प्रत्येक अभिकरण जब अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप 1 में आवेदन कर रहा है तब अपने पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप 2 को भी संलग्न करेगा।
- (2) यदि आवेदक कोई कंपनी, कोई फर्म या कोई व्यक्तियों का संगम है तो प्ररूप 1 में आवेदन, कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक जैसे कि वे भी आवेदक थे, के लिए प्ररूप 2 के साथ होगा । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में अंतर्वलित उपबंधों के संबंध में ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए वह प्ररूप 3 में एक शपथ पत्र दाखिल करेगा।
- (3) नियंत्रक प्राधिकारी, प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 3 की प्राप्ति पर आवेदन की अन्तर्वस्तु और आवेदक की विशिष्टियों का सत्यापन करने के लिए ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, कर सकेगा।
- (4) नियंत्रक प्राधिकारी आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के उद्देश्य के लिए अपराध और आपराधिक के इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस जैसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर-संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) का उपयोग करेगा।
- (5) जब कभी किसी आवेदक का पूर्ववृत्त पहले ही किसी अन्य राज्य में सत्यापित कर लिया गया हो और अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर दी गई हो, तब नियंत्रक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नए सिरे से पूर्ववृत्त का सत्यापन करे परंतु अनुज्ञप्ति जिसके लिए पूर्ववृत्त सत्यापित किया गया है, वैद्यता की अविध के भीतर हो।
- (6) जहां आवेदन दिया गया है, वहां संबंधित राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी को देय मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन यथा विहित फीस के संदाय को दिखाने के लिए प्ररूप 1 के साथ संलग्न होगा।
- (7) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, नियंत्रक प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से उसे भेजा जाएगा।
- (8) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर नियंत्रक प्राधिकारी आवेदन को उसके द्वारा प्राप्त किए जाने की तारीख, उस पर लिखने के पश्चात् आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिस्वीकृति अनुदत्त करेगा।
- (9) नियंत्रक प्राधिकारी, प्ररूप 1 में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् प्ररूप 4 में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा ।

परंतु यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण ने पहले ही किसी अन्य राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है, तब अनुज्ञप्तिधारी को प्रशिक्षण की अपेक्षा आवश्यक नहीं होगी ।

- (10) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य साधन द्वारा या अभिकरण द्वारा दिए गए पते पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के परिसर को सत्यापित करेगा ।
- (11) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए आवेदन में यथा उल्लिखित संबंधित राज्य में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के प्रधान कार्यालय को जारी करने के पंद्रह दिनों के भीतर डाक द्वारा अनुज्ञप्ति की भौतिक प्रति को परिदत्त करवायेगा जिसे वह प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने कारबार के स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होगा।
- (12) अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की दशा में नामंजूरी का कोई आदेश नहीं किया जाएगा, जब तक.-
 - (क) आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ;
 - (ख) आधार जिन पर अनुज्ञप्ति को नामंजूर किया गया है, आदेश में उल्लिखित न कर दी गयी हो।
- (13) नियंत्रक प्राधिकारी सभी परिपेक्षों से उसे पूर्ण होने की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्ररूप 1 पर आदेश पारित करेगा।

- 4. अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने की शर्तें.- (1) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा, यथा विहित, प्राइवेट सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण उसके द्वारा नियत किए गए समय के भीतर सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा।
- (2) नियंत्रक प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्य विवरण के ब्यौरे विरचित करेगा।
- (3) प्रशिक्षण कम से कम छह कार्य दिवस का होगा । प्रशिक्षण में मोटे तौर पर निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-
- (i) वर्तमान सुरक्षा रूपरेखा
 - (क) वीआईपी सुरक्षा
 - (ख) आंतरिक सुरक्षा
 - (ग) संस्थागत सुरक्षा
- (ii) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की भूमिका और कृत्य
 - (क) अग्नि शमन
 - (ख) आपदा /आपातकालीन प्रबंधन प्रोटोकॉल
 - (ग) सुरक्षा कर्तव्य
 - (घ) विभिन्न दस्तावेजों की जांच
 - (ङ) सूचना सुरक्षा
 - (च) अभिगम नियंत्रण
 - (छ) विस्फोटक आईईडीएस
 - (ज) एंटी सबोटेज चेक (एएससी)
 - (झ) सुरक्षा संबंधी उपस्कर
 - (ञ) संसूचना उपस्कर
 - (ट) पेट्रोलिंग
 - (ठ) चौकी ड्यूटी
- (iii) विधिक उपबंध
 - (क) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) और उससे संबंधित राज्य नियम
 - (ख) सुसंगत श्रमिक विधियां
- (iv) सुरक्षा अभिकरणों का प्रबंधन
 - (क) वर्दी
 - (ख) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण
 - (ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दस्तावेजों और रिकॉर्ड का रखा जाना
 - (घ) डाटा शेयरींग प्रोटोकॉल
- (v) जनसाधारण, पुलिस और अन्य विभागों के साथ इंटरफेस
 - (क) जनसाधारण के साथ इंटरफेस
 - (ख) पुलिस और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ संपर्क
- (vi) प्राइवेट सुरक्षा कार्मिक क्या करना है और क्या नहीं करना है (आचरण नियम)

- (4) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अभिकरण बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तारीख, स्थायी पता, पत्र व्यवहार के लिए पता और प्रधान वृत्ति को सूचित करेगा।
- (5) अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के पते में परिवर्तन या प्रबंध में परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी को सूचना देगा।
- (6) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में, अभिकरण बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध या अभिकरण द्वारा नियुक्त या नियोजित प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के विरुद्ध विरचित किए गए किसी आपराधिक आरोप के बारे में ततकाल सूचना देगा। और ऐसी संसूचना की एक प्रति उस थाने के भारसाधाक अधिकारी को भेजेगा जहाँ व्यक्ति जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है निवास करता है।
- (7) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक मानकों और इन नियमों में यथास्थिति, उनकी प्रशिक्षण शर्तें जिन पर अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, अपेक्षाओं का पालन करेगा।
- (8) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी।
- (9) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्राप्ति के छह माह के भीतर अपने क्रिया कलाप प्रारंभ करेगा।
- (10) क्रिया कलापों के आरंभ किए जाने में, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित और नियम 10 के अनुसरण में कार्यालय परिसर का स्थापन और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सम्मिलित होगी।
- 5. अनुज्ञप्ति का नवीकरण.- (1) प्रत्येक अभिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप 2 और प्ररूप 3 के साथ प्ररूप 1 में, उसके वैद्यता की अविध के अवसान होने की तारीख से कम से कम पैंतालीस दिन से पहले और अधिनियम की धारा 8 की अन्य शर्तों का पालन करने के पश्चातु अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।
- (2) यदि आवेदक कोई कम्पनी, कोई फर्म या कोई व्यक्तियों का संगम है तो प्ररूप 1 में आवेदन कम्पनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक वैसे ही जैसे की वे भी आवेदक थे, के लिए प्ररूप 2 के साथ होगा।
- (3) नियंत्रक प्राधिकारी, आवेदक के पूर्ववृत्त का उसी रीति से जैसे कि नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित है, सत्यापन करेगा।
- (4) नियंत्रक प्राधिकारी प्ररूप 1 में आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् प्ररूप 4 में अनुज्ञप्ति के नवीकरण को अनुदत्त करेगा।
- (5) उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन के प्राप्त न होने की दशा में, अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात्, गैर अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण माना जाएगा।
- (6) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करने की अविध के अवसान के पश्चात् अभिकरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा।
- (7) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रभार्य फीस वैसी ही होगी, जैसी अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए नियम 3 के उपनियम
- (6) में यथा उल्लिखित हो।
- (8) उपनियम (1) में उपदर्शित अवधि के पश्चात् और अनुज्ञप्ति के अवसान होने से पूर्व प्राप्त किए गए आवेदन पर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कार्य नहीं होगा ।
- (9) नियंत्रक प्राधिकारी, इसके सभी प्रकार से पूरा होने पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्ररूप 1 में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर आदेश पारित करेगा।
- (10) अनुज्ञप्ति नवीकरण की वैद्यता पहली अनुज्ञप्ति के अवसान होने की तारीख से समझी जाएगी और उसके नवीकरण की तारीख को विचार में लाए बिना पांच वर्ष तक की होगी । विद्यमान अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आवेदन का विनिश्चय किए जाने की दशा मे मध्यवर्ती अवधि वैध अनुज्ञप्ति के अधीन समझी जाएगी ।

- (11) नियंत्रक प्राधिकारी और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण, जिसमें सिविल या सैनिक अधिकारी के कृत्य, राष्ट्रीय आपात, बलवा, दैवीकृत्य तक सीमित नहीं हैं, शामिल है, हुई देरी के लिए दायी नहीं होंगे।
- **6. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्तें.-** अनुज्ञप्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुदत्त किया जाएगा, अर्थात्:-
- (i) आवेदक, नियंत्रक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में अपने कारबार के प्रधान स्थान को बनाए रखेगा ।
- (ii) आवेदक अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए इन नियमों के नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन अपेक्षित प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखेगा।
- (iii) आवेदक, अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना जारी रखेगा ।
- (iv) आवेदक का अपराधिक पूर्ववृत्त न हो जो अपराध और आपराधिक डाटा से सत्यापित किया जा सकेगा ।
- 7. प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चिरत्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन.- (1) अभिकरण, किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त करने से पहले स्वयं को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीके से ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्तियों के बारे में संतुष्ट करेगा :-
- (क) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाणपत्र पर निर्भर होकर;
 - परंतु चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र वैध हो और अभिकरण के पास किसी अन्य स्त्रोत से व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो ।
- (ख) नियंत्रक प्राधिकारी या पुलिस के माध्यम से चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए अपराध और आपराधिक का इलेक्ट्रॉनिक डाटा के अभिगम द्वारा जैसे अपराध और आपराधिक ट्रेनिंग नेटवर्क और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर-संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस)।
- (2) व्यक्ति जो सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त होने की वांछा रखता है अभिकरण को प्ररूप 5 दाखिल करेगा। इसके अतिरिक्त, वह अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों से संबंधित ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए प्ररूप 6 में एक शपथपत्र दाखिल करेगा।
- (3) राज्य सरकार चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा की गई फीस की स्वीकृति करने की व्यवस्था करेगी।
- (4) प्राधिकारी जिसको आवेदन दिया गया है, सुनिश्चित करेगा कि चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट चरित्र और पूर्ववृत प्ररूप की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर जारी की गई हो ।
- (5) एक बार जारी की गई चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट नियोजक की प्रास्थिति में परिवर्तन हो जाने के बावजूद भी पांच वर्षों तक वैध रहेगी।
- (6) अभिकरण, चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन के आधार पर प्ररूप 7 में एक चरित्र और पूर्ववृत प्रमाणपत्र जारी करेगा और यह प्रमाणपत्र ऐसे अभिकरण द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा भले ही वह व्यक्ति अभिकरण का कर्मचारी न रहे ।
- 8. सुरक्षा प्रशिक्षण.- (1) नियंत्रक प्राधिकारी, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा के अनुसार, सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। प्रारंभिक स्तर के लिए यह प्रशिक्षण न्यूनतम 20 दिनों की अवधि में दिया जाने वाला, न्यूनतम 100 घंटे की कक्षा में शिक्षण तथा 60 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कार्मिकों को केवल संघनित पाठ्यक्रम, न्यूनतम 40 घंटे कक्षा में शिक्षण और 16 घंटे फील्ड प्रशिक्षण होगा जो 7 कार्य दिवसों में होगा;
- (2) प्रशिक्षण में निम्न विषय होंगे ;
 - (क) जनता में आचरण और वर्दी को सही ढंग से धारण करना ;
 - (ख) शारीरिक सक्षमता प्रशिक्षण ;

- (ग) शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भवन/अपार्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा ;
- (घ) अग्नि शमन ;
- (ङ) भीड़ नियंत्रण ;
- (च) पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों की जांच ;
- (छ) उम्मीदवार को अंग्रेजी अक्षरों तथा अरबी अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए चाहिए, जैसा कि सामान्यत: पहचान दस्तावेजों, शस्त्र अनुज्ञप्ति, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण शीट में आते हैं ;
- (ज) छुपी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचान ;
- (झ) प्राथमिक चिकित्सा ;
- (ञ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन ;
- (ट) रक्षात्मक ड्राइविंग (सशस्त्र गाड़ियों के ड्राइवर के लिए अनिवार्य तथा दूसरों के लिए वैकल्पिक);
- (ठ) अवर्जित आयुधों तथा अग्नेयास्त्र का उठाना-रखना और संचालन (वैकल्पिक) ;
- (ड) भारतीय दंड संहिता का प्रारंभिक ज्ञान, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं), विस्फोटक अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं) ;
- (ढ) पुलिस तथा सैन्य बलों के रैंक के बैज ;
- (ण) जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान ;
- (त) सुरक्षा उपकरण और युक्तियों का उपयोग (उदाहरण के लिए सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण) ; और
- (थ) नेतृत्व और प्रबंधन (केवल सुपरवाइजरों के लिए)।
- (3) सुरक्षा गार्ड को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।
- (4) प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्ररूप 8 में एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
- (5) एक राज्य में प्रशिक्षण संस्थान से गार्ड/पर्यवेक्षक को जारी किया गया प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अन्य राज्य भी स्वीकार करेंगे ।
- (6) नियंत्रक प्राधिकारी समय-समय पर स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण सुविधा के कृत्यों का निरीक्षण करेगा। सामान्यता ऐसा निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा।
- (7) सभी प्रशिक्षण अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी को उसके द्वारा विहित की गई रीति मे सफल प्रशिक्षणार्थियों की एक सुची प्रस्तुत करेंगे।
- (8) प्रशिक्षण पूर्ण होने और रोजगार की अपेक्षा के आधार पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण स्वयं अपने को पदाभिहित कर सकेगें परन्तु कोई अभिकरण के सशस्त्र सेना, अर्ध सैनिक बल या राज्य पुलिस बल के किसी रैंक को अंगीकृत नहीं करेगा ।
- (9) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी प्राइवेट प्रशिक्षण अभिकरण के प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण और कौशल को सत्यापित करेगा ।
- (10) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे सुरक्षा अभिकरणों की अनुज्ञप्ति का जारी रखने या अन्यथा पुनर्विलोकन कर सकेगा जिन्होंने अपनी नामावली पर कार्मिकों के प्रशिक्षण की शर्तों का अनुपालन न किया हो ।
- 9. सुरक्षा गार्ड<mark>ों के लिए शारीरिक मानदंड.-</mark> (1) कोई व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त या नियोजित होने के लिए अर्हय होगा यदि वह नीचे दिए गए शारीरिक मानकों को पूरा करता है :-
 - (i) कद 160 से.मी. (महिला 150 से.मी.), वजन, कद-वजन की मानक सारणी के अनुसार, सीना 80 से.मी. जो 04 से.मी. फूलना चाहिए (महिलाओं के लिए लिए सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है),

- (ii) नेत्र दृष्टि -दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 चश्मे अथवा इसके बिना, वर्णांधता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों के प्रदर्श में रंगों को विभेद और पहचान करने और अंग्रेजी अक्षरों तथा प्रदर्श में अरबी के अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए।
- (iii) संहतजानुक और चिपटा पैर से मुक्त ; छह मिनट में एक किलोमीटर तक दौड़ने योग्य।
- (iv) श्रवणः दोष से मुक्त हो ; सुनने और बोलने की आवाज का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म पर प्रतिक्रिया करने योग्य हो।
- (v) अभ्यर्थी तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कुशल और समर्थ हो।
- (2) अभ्यर्थी किसी छुआ-छुत की बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुक्त हो । वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आशंका हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाए।
- (3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास कार्यरत प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की किसी स्वास्थ्य परीक्षा के प्रत्येक 12 माह पश्चात्, उसकी अंतिम ऐसी स्वास्थ्य जांच की जाती है ताकि उसके प्रवेश के समय निर्धारित शारीरिक मानदंड का सतत् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
- 10. सुपरवाइजरों के लिए उपबंध.- (1) पंद्रह से अनिधक प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के कार्य का पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक होगा ।
- (2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हैं, की दशा में और एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना व्यवहार्य न हो तो अभिकरण अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को तैनात करेगी ताकि कम से कम प्रत्येक छह सुरक्षा गार्डों की सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो।
- 11. अपील और प्रक्रिया अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील प्ररूप 9 में की जाएगी और उस पर व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसे राज्य सरकार के गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से या इलैक्ट्रानिकी या डिजीटल प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा ।
- 12. अभिकरण द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर -अधिनियम के अधीन अभिकरण द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में प्ररूप 10 में रखा जाएगा।
- 13. फोटो पहचान पत्र -(1)अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन अभिकरण द्वारा जारी प्रत्येक फोटो पहचान पत्र प्ररूप 11 में होगा।
- (2) फोटो पहचान पत्र में पूरा चेहरे का रंगीन फोटो, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, अभिकरण का नाम तथा उस व्यष्टि की कर्मचारी संख्या होगी, जिसे फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है।
- (3) फोटो पहचान पत्र में व्यष्टि की अभिकरण में प्रास्थिति और वह तारीख जिस तक फोटो पहचान पत्र वैध है स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगी।
- (4) फोटो पहचान पत्र को अद्यतन रखा जाएगा और विशिष्टियों में किसी परिवर्तन को उसमें दर्ज किया जाएगा।
- (5) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को जारी फोटो पहचान पत्र को उसे जारी करने वाले अभिकरण को तब लौटा दिया जाएगा जब प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और नियोजन में नहीं रहता है या उसके द्वारा नियोजित नहीं किया जाता है।
- (6) फोटो पहचान पत्र के गुम हो जाना या चोरी हो जाने को उस अभिकरण की जानकारी में तुरंत लाया जाएगा, जिसने उसे जारी किया है।
- **14. अन्य शर्तें-**(1) इस बात के होते हुए भी अभिकरण अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी पर यूनिफार्म पहनना अनिवार्य करे, या न करे, प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गार्डों को;
 - (क) अभिकरण को सुभिन्न करने वाला बाजू पर पहनने वाला बैज ;
 - (ख) संगठन में उसका पद दर्शाने वाला कंधे या वक्ष का बैज ;

- (ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी और जो बाँयी जेब में रखी जाएगी ;
- (घ) फीते और सुराख सहित जूते ;
- (ङ) सिर पर पहनने की टोपी जिस पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का सुभेदक चिह्न भी हो सकता है ;

जारी करेगा और उन्हें पहनना बाध्यकर करेगा।

- (2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह ड्यूटी पर हो, तो उसके द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र ऐसे होंगे जो उसकी दक्षतापूर्ण पालन में बाधा उत्पन्न न करें । विशेषकर, वे न तो बहुत तंग हों और न ही बहुत ढीले होंगे, जिससे उसकी गतिविधियों या अंगों को मोडने में बाधा हो ।
- (3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोट-बुक और एक लेखन उपकरण रखेगा ।
- (4) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी पर हो, अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी फोटो पहचान पत्र, अपने शरीर पर किसी सहज दृश्य स्थान पर कमर से ऊपर बाहरी वस्त्र पर प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा ।

प्ररूप 1

(नियम 3, नियम 5 देखिए)

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने/अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए आवेदन सेवा में,

नियंत्रक प्राधि	कारी <u>,</u>				
अधोनस्ताक्षरी	पादवेट सरक्षाः	थिकरण के	थेव में मेवा	करने का का	रहार चलाने

अधोहस्ताक्षरी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के क्षेत्र में सेवा करने का कारबार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करता है

- 1. आवेदक का पूरा नाम:
- 2. आवेदक की राष्ट्रीयता:
- 3. प्त्र/पत्नी/प्त्री:
- 4. निवास स्थान का पता:
- 5. पता, जहां आवेदक अपना अभिकरण आरंभ करने की वांछा करता है :
- 6. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम :
- 7. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के अतिरिक्त ब्यौरे (यदि लागृ हों) :
 - (क) सीआईएन नंबर:
 - (ख) ईएसआई नंबर:
 - (ग) ईपीएफ नंबर :
 - (घ) श्रम अनुज्ञप्ति नंबर :
 - (ङ) श्रम रजिस्ट्रीकरण नंबर :
 - (च) जीएसटी नंबर :
 - (छ) कोई अन्य सूचना :
 - (ज) क्या अभिकरण के पास एफडीआई है (हां/नहीं) : यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें :

- (i) एफडीआई का देश:
- (ii) विदेशी शेयरधारक का नाम :
- (iii) विदेशी शेयरधारक का पता:
- (iv) विनिधान का वर्ष :
- (v) शेयरों की संख्या:
- (vi) विदेशी शेयर धारण की प्रतिशतता :
- (vii) एफडीआई के अनुमोदन के ब्यौरे :

(कृपया एफडीआई अनुमोदन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें)

8. अभिकरण के स्वत्वधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक और अध्यक्ष का नाम और पता :

क्रम सं.	प्रबंधन किस्म (स्वत्वधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक और अध्यक्ष)	नाम	पता	डीआईएन नंबर (यदि हो)	नंबर पहचान सबूत	सहित का

- 9. उपलब्ध सुविधाओं का नाम और विस्तार :
- 10. (क) क्या आवेदन के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है या वह इसे आउटसोर्सिंग आधार पर लेगा ?
 - (ख) यदि आवेदक के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है तो कृपया निम्नलिखित सूचना दें :

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम:

प्रशिक्षण अभिकरण का पता:

प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे :

- 11. सुरक्षा सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले उपस्कर
 - (क) डोर फ्रेम्ड मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी)
 - (ख) हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी)
 - (ग) माइन डिटेक्टर
 - (घ) अन्य उपस्कर
 - (i) बेतार दूरभाष
 - (ii) अलार्म युक्तियां
 - (iii) बख्तरबंद वाहन
 - (iv) आयुद्ध
- 12. वर्दी की विशिष्टयां, जिसके अंतर्गत उसका रंग भी है (कृपया वर्दियों का रंगीन फोटो संबद्ध करें) :
- 14. क्या आवेदक संपूर्ण राज्य में प्रचालन की वांछा रखता है ? हां/नहीं

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

आवेदक का दूरभाष नंबर

आवेदन की तारीख

संलग्नक:

- 1. अभिकरण के परिसर का फोटो।
- 2. सभी प्रबंधकीय कार्मिकों की पहचान का सबूत।
- 3. प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे (यदि लागू हों)।
- 4. वर्दियों का रंगीन फोटो।
- 5. ऊपर पैरा 7 में दिए गए अभिकरण ब्यौरों के अधीन दस्तावेज (यदि लागू हों)।
- 6. वर्तमान आय-कर निकासी प्रमाणपत्र की प्रति ।
- 7. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन यथाविहित शपथ-पत्र।
- 8. अन्य संलग्नक ।

प्ररूप 2

(नियम 3 और 5 देखिए)

आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

टिप्पण : यदि आवेदक कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई व्यक्तियों का संगम है तो यह प्ररूप कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक, जैसे कि वे भी आवेदक हैं, द्वारा भरा जाएगा ।

थातेत्व र	के ट्रस्टाधर	
जा न दन	1, 6//11.41/	

आवदन न हरताचार					
केवल कार्यालय के उपयोग हेतु					
प्ररूप संख्या	पूर्ववृत सत्यापन जारीकर्ता	तारीख			
फीस रकम रु - जारी करने की तारीख	नगद / मांगदेय ड्राफ्ट बैंक का ना [.] ⁻	प मांगदेय ड्राफ्ट सं			
•	रे : (सावधान : कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें । प्ररूप गें की अनुदत्त के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है ।)	ां गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने			
1. आवेदक का (आद्याक्ष	र अनुज्ञात नहीं है)				
अंतिम नाम	अंतिम नाम				
2. यदि आपने अपने नाः	म में कभी कोई परिवर्तन किया है तो कृपया पिछले पूरे 	नाम (नामों क) का उल्लेख करें			
3. लिंग (पुरुष/महिला)					
4. जन्म तिथि :					
5. आधार संख्या					
6. पैन संख्या					
7. जन्म का स्थान – गां	व/टाउन				
जिलाराज्य	और देश				

[भाग II	—खण्ड 3(ii)]	भारत का रा	जपत्र : असाधारण	11
8. पित	ा का पूरा नाम/विधिः	क संरक्षक का पूरा नाम (उपन	ाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुः 	- ज्ञात नहीं है)
9. मात	ा का पूरा नाम (उपन	ाम सहित, यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)	
 10. यरि	दे विवाहित है तो परि	ते/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम	 सहित, यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर नर्ह	řं है)
 11. वर्त 	 मान आवासीय पता 	 , गली/सड़क सं. पुलिस थाना, 	 ग्राम तथा जिला सहित (पिन कोड संख्य 	T भी दें)
• `		व्या		
12. उप 	युक्त पते पर किस ता 	रिख से निवास कर रहे है, रि 	ोखिए : (तिथि/मास/वर्ष) 	
13. स्थ	ायी पता गली न./था	ना-ग्राम और जिला (पिन कोः	ः सहित)—	
14. <u>यदि</u>	रे आपने स्तंभ (11) मे	<u>में दिए गये पते पर लगातार प</u>	<u>ांच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृ</u> प	<u>।या अवधि सहित निवास</u>
<u>का</u>	अन्य पता (पते) उल्ले	<u>नेख करिए।</u>		
से	तक		पता	
				······
		ामले में इक्कीस वर्ष की आयु 	प्राप्त करने के पश्चात आपने जिन स्थान 	ों पर एक वर्ष से अधिक
	य ब्यौरेः			
(क)	शैक्षणिक अर्हताएं ;			
` ´ (ख)		द पर रहे हों तो नियोक्ता का ग	गम और पता ;	
(ग)	्र पिछले नियोजन छ्	ोडने का कारण ;		
(ঘ)	शरीर पर विभेदक	पहचान चिहन ;		
(ड़)	पिछले तीन वर्ष की	आय कर विवरणी ;		
	क्रमांक संख्या	निर्धारण वर्ष	आईटीआर की प्रति संलग्न है(हां/न	नहीं)
	1.			
	2.			
	3.			
(च) अधिनियम की धा	रा 6 के उपबंध सम्मिलित कर	ते हुए शपथ-पत्र संलग्न हैः हां/नहीं	

	ापने किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को शिक थे ? यदि हां तो अभिकरण का नाम	~	•
	 आप जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण/देशीयक ो तो कृपया पूर्व नागरिकता का उल्लेख क		रे आप के पास अन्य कोई
किए गए हैं ?	आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा कि ' यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, व ṫ)	ाद संख्या, और दांडिक अपराध का वि	
न्यायालय का	ारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में नाम, वाद संख्या और अपराध का विवर		
21. स्वतःघ			
इस प्ररुप तथा	संलग्नो में दी गई सूचना सही है और मैं	इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदार्य	•
तारीख			(आवेदक के हस्ताक्षर)
स्थान			
संलग्नकः			
			(आवेदक के हस्ताक्षर)
	Х	ारूप-3	
	[नियम 3(2)/र्1	नेयम 5 (1) देखिए]	
	श	पथ पत्र	
मैं	पुत्र/पुत्री/पत्नी/	श्री/सुश्री	
वासी	मैसर्स(फर्म/अभिकरण/कंपन	् नी का नाम) स्थित(फर्म/अभि	भकरण/कंपनी का पता) का
त्वधारी/ भागीव	गर/निदेशक हूं । मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान	। और घोषणा करता हूं कि :	
1. यह वि	के अभिसाक्षी भारत का नागरिक है ।		
2. यह वि	के अभिसाक्षी ने 18 वर्ष आयु प्राप्त कर र् <u>ल</u>	ो है ।	
3. यक वि म्नानुसार है :	के स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशको के ब्यौ	ौरे (कृपया सभी भागीदारों/निदेशकों वे	के ब्यौरे उपदर्शित करें) जो
। संख्या	स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों के	फर्म/अभिकरण/कंपनी का पदनाम	निवास का पता
	नाम	स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक	

- 4. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक कंपनी के प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए (फर्म/अभिकरण/कंपनी के संबंध में कोई कपट अपकरण) सिद्धदोष किया गया है जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित दिवालिया भी है।
- 5. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, जिसके लिए विहित दंड दो वर्ष से कम का कारावास नहीं है।
 - 6. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदारी/निदेशक -
- (क) किसी संगठन या संगम से संबंध नहीं रखते है जिनको उनके क्रियाकलापों जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते हैं, के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित किया गया गया है; या
 - (ख) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है।
- 7. अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्यत या हटाया नही गया है।
- 8. फर्म/अभिकरण/कंपनी भारत में रजिस्ट्रीकृत है और उसके पास स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है।
- 9. अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक उसके यथा विहित प्राईवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके या उन्हे ऐसा प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करके प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
- 10. अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 11 के अधीन यथा अनुबद्ध निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे।
 - (i) विहित प्रशिक्षण जिसे अनुज्ञाप्तिधारी को करना है।
 - (ii) अभिकरण बनाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के ब्यौरें।
- (iii) नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर अपने पते, प्रबंधन के किसी परिवर्तन के संबंध में सूचना देने की बाध्यता।
- (iv) नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त, यथास्थिति प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण या प्राईवेट सुरक्षा गार्ड के कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में उनके विरूद्ध किसी भी दांडिक आरोप के संबंध में सूचना देने की बाध्यता।
- (v) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन करने और ऐसे प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण की जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो, अनुज्ञप्ति को जारी रखने का या अन्यथा के पनर्विलोकन करने का उपबंध कर सकेगा।
- 11. यह कि अभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं है।

या

यह कि अभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित है। (ब्यौरों को संलग्न करे)

सत्यापन:- मैं,तारीखको तदनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि यह शपथ पत्र उपर्युक्त अंतर्वस्तु मेरे वैयक्तिक ज्ञान के अनुसार सही है और विश्वास से कोई बात छिपाई नहीं गई है ।
अभिसाक्षी
टिप्पण: (i) बिंदु संख्या 4 से 8 अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन से संबंधित है ।
(ii) बिंदु संख्या अधिनियम की धारा 9(2) के अनुपालन से संबंधित है ।
(iii) बिंदू संख्या 10 और 11 अधिनियम की धारा 11 के अनुपालन से संबंधित है ।
(iv) बिंदुओं को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं ।
प्ररूप-4
(नियम 3(10) देखिए)
सरकार
प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने की अनुज्ञप्ति
क्रम संख्या
तारीख
प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम
श्री(आवेदक का नाम)
पुत्र/पुत्रीनिवासीकोपते पर स्थित कार्यालय सेजिले/राज्य जो (जो लागू न हो उसे काट दें) में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय के प्रचालन के लिएराज्य के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।
जारी करने का स्थान:
जारी करने की तारीख:
यह अनुज्ञप्तितक वैध हैं ।
हस्ताक्षर
अनुदत्त प्राधिकारी का नाम
पदनाम
कार्यालय का पता
नवीकरण
(नियम 5(4) देखिए)

क्रम संख्या	नवीकरण की तारीख	अवसान की तारीख
1		
2		
3		
4		

हस्ताक्षर

नवीकरण प्राधिकारी का नाम

पदनाम

कार्यालय का पता

प्ररूप-5

(नियम 7(2) देखिए)

सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

केवल कार्यालय द्वा	रा उपयोग के लिए			
प्ररूप संख्या	चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन जारीकर्ता	तारीख		
फीस रकम रु तारीख		मांगदेय ड्राफ्ट सं जारी करने की		
•	सही सूचना प्रस्तुत करें । प्ररूप में गलत सूचना देने अ जन/काम पर लगाने के लिए अनुपयुक्त माना जाएग	g		
1. आवेदक	का नाम जैसा फोटो पहचान पत्र में प्रतीत हो (आद्या	क्षर अनुज्ञात नहीं है)		
अंतिम	नामप्रथम नाम			
2. यदि अप	<mark>यने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है तो पि</mark> छले पृ	रे नाम (नामों) का उल्लेख करें ।		
3. लिंग (पु	रुष/महिला)			
4. जन्म की	ो तारीख (दिन/माह/वर्ष)			
5. आधार	सं			
6. जन्म क	ा स्थान ग्राम/नगर			
जिला-	देश और राज्य			
7. पिता का पूरा नाम/विधि संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर की अनुज्ञात नहीं है)				
8. माता का	ा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अर्	नुज्ञात नहीं है)		
9. यदि विव	ब्राहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित	, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)		
10. वर्तमान	न आवासीय पता, गली, सड़क सं./पुलिस थाना, ग्राम	और जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें)		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	नं./मोबाइल नं			
11. कૃપયા	उपर्युक्त उल्लिखित पते पर किस तारीख से निवास व	_०		
12. स्थायी	पता गली नं./पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित ((पिन कोड सहित)		
13. <u>यदि अ</u>	 <u>।पने स्तंभ (10) में दिए गए पते पर लगातार पांच व</u>	<u> र्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित</u>		
	<u>का अन्य पता (पते) उल्लेख करिए ।</u>			
से	तक	पता		

14. विदेश में निवास के मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् आपने जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो; उनका ब्यौरा दीजिए:
15. अन्य ब्यौरे:-
(क) शैक्षिक अर्हताएं
(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहे हों तो नियोक्ता का नाम और पता
(ग) पिछले नियोजन छोड़ने के कारण
(घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिन्ह
(ड.) ऊंचाई (सें.मी.)
(च) अधिनियम की धारा 10(1) और (2) के उपबंधों को सम्मिलित करते हुए शपथ –पत्र संलग्न हैं:
हां/नहीं
16. क्या आप केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/कानूनी निकाय में सेवारत है। हां/नहीं
17. क्या आप जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं? यदि आप के पास अन्य कोई नागरिकता थी, तो कृपया पूर्व की नागरिकता का उल्लेख करें
18. क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किए गए हैं? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए)
19. क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाही लंबित है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए
20. क्या किसी न्यायालय द्वारा कोर्ट वारंट या उपस्थिति के लिए समन या गिरफ्तारी के वारंट अथवा भारत से बाहर जाने की संजात जारी की गई है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए।
21. स्वत: घोषणा:-
इस प्ररूप और संलग्नकों में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णत: उत्तरदायी हूं
22. अंगुलियों के निशान:
(आवेदक के हस्ताक्षर
तारीख
स्थान
संलग्नक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

शैक्षिक अर्हता :

प्ररूप 6

(नियम 7(2) देखिए)

	शपथपत्र	
	मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री./सुश्री	निवासी
	(आवासीय पता) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण मैसर्स	
	स्थितक्षेपनी का पता) में प्र र के लिए स्वयं प्रस्थापना करता हूं । मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/घोषणा व	-
	1. यह कि मैं भारत का नागरिक हूं ।	
	2. यह कि मैने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है लेकिन 65 वर्ष की आयु है ।	गु पूर्ण नहीं की है । मेरे जन्म की तारीख
	3. यह कि मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गय	⊺ है ।
	4. यह कि मुझे संघ के किसी सशस्त्र बल, राज्य पुलिस संघठन, केंद्री प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में सेवा करते हुए अवचार या नैतिक अधमत	
	प्राइवट सुरक्षा आमकरण म सवा करत हुए अवचार या नातक अधमत गया है ।	ता के आधार पर पदच्युत या हटाया नहा
		अभिसाक्षी
	सत्यापन : मैंकिंग्यापन : मैंकिंग्यापन : मैंकिंग्यापन : मैं उपर दिए गए तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच और स है ।	
		अभिसाक्षी
	टिप्पण: प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 अभिसाक्षी की जागरूकता के लिए शपथपत्र के पृष्ठभाग पर मुद्रित वि प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होने के लिए अर्हताएं।	
	(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गय राज्य पुलिस संगठन, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या वि समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत वि गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या लगाया नहीं जाएगा।"	क्सी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में, सेवा करत <mark>े</mark>
	प्ररूप 7	
	(नियम 7(6) देखिए)	
	चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र	
(यह	प्रमाणपत्र प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 वे अधीन जारी किया गया है)	नियम में सम्मिलित किए गए उपबंधों के
	प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री	पुत्र/पुत्री
	जिसका ब्यौरें निम्नलिखित है, अच्छे नैति	
पिछले ए	एक वर्ष से निम्न पते पर लगातार निवास कर रहा है ।	
जन्म ति	थि :	
जन्म स्थ	थान :	

व्यवसाय :	
वर्तमान पता :	
स्थायी पता :	
	के आधार पर जारी किया गया है और जारी करने की तारीख
से पॉंच वर्ष की अवधि तक वैध होगा ।	
	जारीकर्ता प्राधिकारी
	हस्ताक्षर
	नाम :
	पदनाम :
	पता/दूरभाष नं:
जारी करने की तारीख :	
	प्ररूप 8
(नियग	म 8(5) देखिए)
प्रशिक्ष	क्षण प्रमाण-पत्र
क्रम संख्या	
प्रशिक्षणः	अभिकरण का नाम
प्रशिक्षण	अभिकरण का पता
प्रशिक्षण अभिक	करण मान्यता संख्या
[इस अभिकरण की मान्यत	ता तारीखतक वैध है]
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री	
	निवासी
	तक राष्ट्रीय
कौशल अर्हता ढाचा (एन एस क्यू एफ) के मानक अनुसार जाने के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पूरा कर लिया हे ।	प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति या काम पर रखे
उसके हस्ताक्षर नीचे साक्ष्यांकित हैं ।	
प्रमाण-पत्रधारी के हस्ताक्षर	
	जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
	पदनाम
जारी करने का स्थान :	
जारी करने की तारीख :	

प्ररूप 9

(नियम 11 देखिए)

अपील के लिए प्ररूप

अधिनियम की धारा 14 के	अधीन अपील			
अपीलकर्ता				
पुत्र:पुत्री	निवासी			
		बनाम		
नियंत्रक प्राधिकारी				
तारीख	के	(नियंत्रक प्राधि	धेकारी के) के आदेश, और	Ţ
. •	भिकरण का नाम) के प्रचालन		•	•
	(राज्य के गृह र्सा	वेच) को अपील करते है	है, और आदेश के विरुध्द	ं आपत्ति के निम्न
आधार दिए गए हैं ।				
2				
3				
4				
संलग्नक दस्तावेजों की सूची	t:			
			हस्ताक्षर	
		अपील	कर्ता का नाम व पदनाम	
तारीख :				
स्थान :				

प्ररूप 10

(नियम 12 देखिए)

<u>विशिष्टियां – रजिस्टर</u>

(रजिस्टर-क प्रबंधन विवरण)

क्रम संख्या	अभिकरण का	माता-	वर्तमान पता	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में
	प्रबंध देखने	पिता/पिता का	और दूरभाष			नियुक्ति/छोड़ने
	वाले	नाम	संख्या			की तारीख
	व्यक्ति/व्यक्तियों					
	के नाम					

(रजिस्टर-ख प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तथा पर्यवेक्षक)

क्रम	गार्ड/पर्यवेक्षक	पिता	वर्तमान	अभिकरण में	स्थायी	फोटोग्राफ	अंगुलियों	क्रमचारी	तारीख सहित
संख्या	का नाम	का नाम	पता	नियुक्ति/छोडने	पता		के निशान	संख्या	वेतन, ईएसआई,
			और	की तारीख					ईपीएफ संख्याए
			दूरभाष						और बैंक/शाखा
			संख्या						जिसके माध्यम से
									संदत्त है।
1.									
2.									

(रजिस्टर-ग ग्राहक)

क्रम संख्या	ग्राहक का नाम और	स्थान का नाम जहाँ	उपलब्ध कराए गए	सेवा प्रारंभ करने	सेवा समाप्त की
	फोन नंबर	सुरक्षा प्रदान की	सुरक्षा गार्ड की	की तारीख	तारीख
		जाती है	संख्या और रैंक		

(रजिस्टर-घ ड्यूटी रोस्टर)

क्रम संख्या	प्राइवेट सुरक्षा	ड्यूटी स्थान का	क्या कोई शस्त्र/गोला-	ड्यूटी प्रारंभ करने	ड्यूटी समाप्त करने
	गार्ड/पर्यवेक्षक का	पता	बारूद उपलब्ध कराए	की तारीख और	की तारीख और
	नाम		गए हैं	समय	समय

प्ररूप 11

(नियम 13 देखिए)

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के लिए फोटो–पहचान-पत्र

(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम)

पहचान-पत्र सं	
नाम	
कार्यालय पदनाम	रंगीन फोटो
कर्मचारी सं	
रक्त समूह	
जारी करने की तारीख	
तक वैध है ।	
पहचान-पत्रधारक के हस्ताक्षर	
जारीकर्ता पाधिकारी के इस्ताक्षर	

कार्यालय की मोहर

[फा. सं. 24021/8/2019-पीएम-1] विवेक भारद्वाज, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2020

- **S.O.** 4549(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) and in supersession of the Private Security Agencies Central Model Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following model rules, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Private Security Agencies Central Model Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005);
 - (b) "Agency" means the Private Security Agency;
 - (c) "Controlling Authority" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the Act;
 - (d) "Form" means, a Form appended to these rules;
 - (e) "Licence" means a licence granted under the Act;
 - (f) words and expressions not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.
- 3. **Application for grant of licence. -** (1) Every agency while making an application in Form I to the Controlling Authority for the grant of licence shall also enclose the Form II for verification of his antecedents.
- (2) If the applicant is a company, a firm or an association of persons, the application in Form I shall be accompanied by Form II for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants. In addition, he shall submit an Affidavit in Form III incorporating the details in relation to the provisions contained in sub-section (2) of section 7 of the Act.
- (3) On receipt of Form I, Form II, Form III, the Controlling Authority shall make such inquiries, as it considers necessary to verify the contents of the application and the particulars of the applicant.
- (4) The Controlling Authority shall utilise electronic databases of crime and criminals like the Crime and Criminal Tracking Networks and Systems (CCTNS), Interoperable Criminal Justice System (ICJS) for the purpose of verification of antecedents of the applicant.
- (5) Wherever any applicant's antecedents have been verified in any other State earlier and licence is granted, it shall not be necessary for the Controlling Authority to verify the antecedents afresh provided that the licence for which antecedents are verified is under period of validity.
- (6) Form I shall be accompanied by a demand draft or banker's cheque or electronic evidence showing the payment of fees as prescribed under sub-section (3) of section 7 of the Act, payable to the Controlling Authority of the State concerned where the application is being made.
- (7) The application referred to in sub-rule (1) shall be either personally delivered to the Controlling Authority or sent to him by registered post or through electronic means.
- (8) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Controlling Authority shall after noting thereon the date of receipt by him of the application, grant an electronic or digital acknowledgement to the applicant.
- (9) The Controlling Authority, after receiving an application in Form I shall grant a licence to the private security agency in Form IV after making such enquiry as it considers necessary, and after compliance with the provisions of the Act:

Provided that if the private security agency has already obtained a licence from the Controlling Authority of any other State then requirement of training of the licensee shall not be necessary.

- (10) The Controlling Authority either by itself or through its officer or any other means shall verify the premises of the private security agency at the address or addresses provided by the agency.
- (11) The Controlling Authority shall cause a physical copy of the licence to be delivered by post within fifteen days of issue to the principal office of the private security agency in the State concerned as mentioned in the application for grant of licence which the private security agency shall be bound to display at its place of business.
- (12) In case of rejection of the application for grant of licence, no order of refusal shall be made unless,-
 - (a) the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard; and
 - (b) the grounds on which licence is refused is mentioned in the order.
- (13) The Controlling Authority shall pass an order on Form I within sixty days from the date of receipt of it complete in all respects.
- 4. **Conditions for grant of licence**.-(1) The licensee shall successfully undergo a training relating to the private security as prescribed by the Controlling Authority within the time frame fixed by it.
- (2) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the licensee.
- (3) The training shall be for a minimum period of six working days. The training shall broadly include the following subjects, namely;-
 - (i) Present security scenario:
 - (a) VIP Security
 - (b) Internal Security
 - (c) Institutional Security;
 - (ii) Role and Functioning of Private Security Agencies:
 - (a) Fire Fighting
 - (b) Disaster/ Emergency Management protocol
 - (c) Security Duties
 - (d) Checking of various documents
 - (e) Information security
 - (f) Access Control
 - (g) Explosives, IEDs
 - (h) Anti Sabotage Checks (ASC)
 - (i) Security related equipments
 - (i) Communication Equipments
 - (k) Patrolling
 - (1) Post duties
 - (iii) Legal provisions:
 - (a) The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) and its associated State Rules.
 - (b) Relevant Labour Laws
 - (iv) Management of Security Agencies:
 - (a) Uniform
 - (b) Training of personnel of private security agencies
 - (c) Documentation and records to be maintained by the licensee
 - (d) Data Sharing Protocol

- (v) Interface with public, Police and other departments:
 - (a) Interface with Public
 - (b) Liaison with police and other concerned Government Departments
- (vi) Private Security Personnel DO's and DON'Ts (Conduct Rules)
- (4) The licensee shall intimate the name, parentage, date of birth, permanent address, address for correspondence and the principal profession of each person forming the Agency within fifteen days of receipt of the licence to the Controlling Authority.
- (5) The licensee shall inform the Controlling Authority regarding any change in the address of persons forming the Agency or change of management within thirty days of such change.
- (6) The licensee shall immediately intimate to the Controlling Authority about any criminal charge framed against the persons forming the Agency or against a private security guard or supervisor engaged or employed by the Agency, in the course of performance of duties as private security agency. A copy of such communication shall also be sent to the officer in charge of the police station where the person charged against resides.
- (7) Every licensee shall abide by the requirements of physical standards for the private security guards and their training as prescribed in these rules as the condition on which the licence is granted.
- (8) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of licence shall be non-refundable.
- (9) The licensee shall commence its activities within six months of obtaining the licence.
- (10) Commencement of activities shall include establishment of office premises and engagement of supervisors as provided under sub-section (3) of section 9 of the Act and in accordance with rule 10.
- 5. **Renewal of licence.** (1) Every Agency shall apply to the Controlling Authority for renewal of the licence in Form I along with Form II and Form III not less than forty-five days before the date of expiry of the period of validity thereof and after complying other conditions of section 8 of the Act.
- (2) If the applicant is a company, a firm or an association of persons, the application in Form I shall be accompanied by Form II for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants.
- (3) The Controlling Authority shall verify the antecedents of the applicant in the same manner as mentioned in sub-rule (4) of rule 3.
- (4) The Controlling Authority, after receiving an application in Form I shall grant a renewal of licence in Form IV after making such enquiry as it considers necessary and after compliance with the provisions of the Act.
- (5) In case of non-receipt of the application for renewal of licence within the period mentioned in sub-rule (1), the agency shall be treated as un-licensed agency after the expiry of licence.
- (6) After expiry of period of applying for renewal of licence, the Agency may apply for fresh licence as per section 7 of the Act.
- (7) The fees chargeable for renewal of the licence shall be the same as for the grant of licence as mentioned in sub-rule (6) of rule 3.
- (8) Applications received after the period stipulated in sub-rule (1) and before the expiry of licence shall not be processed for renewal of licence.
- (9) The Controlling Authority shall pass an order on application for renewal of licence in Form I within thirty days from the date of receipt of application complete in all respects.
- (10) The validity of renewed licence shall be counted from the date of expiry of the previous licence and shall be upto a period of five years irrespective of its date of renewal. In case the application is decided by the controlling authority after expiry of the existing licence, the intervening period shall deem to be under valid licence.
- (11) The Controlling Authority and the Private Security Agencies shall not be liable for delays occurring by reason of circumstances beyond human control, including but not limited to acts of civil or military authority, national emergencies, riot, acts of God.

- 6. **Conditions for renewal of licence.** The renewal of the licence shall be granted subject to the following conditions, namely:-
 - (i) The applicant continues to maintain his principal place of business in the jurisdiction of the Controlling Authority;
 - (ii) The applicant continues to ensure the availability of the training for its private security guards and supervisors required under sub-rule (2) of rule 8 of these rules;
 - (iii) The applicant continues to adhere to the licence conditions;
 - (iv) The applicant has no criminal antecedents as may be verified from a database of crime and criminals.
- 7. **Verification of character and antecedents of the private security guard and supervisor. -** (1) Before any person is employed or engaged as a security guard or supervisor, the Agency shall satisfy itself about the character and antecedents of such person in any one or more of the following manner, namely:-
 - (a) by relying upon the character and antecedents verification certificate produced by the person:

Provided that the character and antecedent certificate shall be valid and the Agency does not have any adverse report regarding the person's character and antecedents from any other source;

- (b) by accessing electronic databases of crime and criminal like the Crime and Criminal Tracking Networks and Systems (CCTNS), Interoperable Criminal Justice System (ICJS) for verification of the character and antecedents through the Controlling Authority or the Police.
- (2) The person desirous of getting employed or engaged as security guard or supervisor shall submit Form V to the Agency. In addition, he shall submit an Affidavit in Form VI incorporating the details in relation to the provisions contained in sub-section (2) of section 10 of the Act.
- (3) The State Government shall arrange to accept the fee to be deposited electronically for character and antecedent verification.
- (4) The authority to which the application is made shall ensure that character and antecedent verification report is issued within fifteen days of the receipt of the character and antecedent form.
- (5) Character and antecedents' verification report once issued shall remain valid for five years irrespective of the change in employer status.
- (6) On the basis of character and antecedents' verification, the Agency shall issue in Form VII a character and antecedents certificate and this certificate shall not be taken back by such Agency even if the person ceases to be the employee of that Agency.
- 8. **Security Training.-** (1) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the security guards in accordance with National Skill Qualification Framework. For entry level, this training shall be for a minimum period of hundred hours of classroom instruction and sixty hours of field training, spread over at least twenty working days. The ex-servicemen and former police personnel shall however be required to attend a condensed course only, of minimum forty hours of classroom instructions and sixteen hours of field training spread over at least seven working days.
- (2) The training shall include the following subjects, namely:-
 - (a) conduct in Public and correct wearing of uniform;
 - (b) physical fitness training;
 - (c) physical security, security of the assets, security of the building/ apartment, personnel security, household security;
 - (d) fire fighting;
 - (e) crowd control;
 - (f) examining identification papers including identity cards, passports and smart cards;
 - (g) should be able to read and understand English alphabets and Arabic numerals as normally encountered in the identification documents, arms licence, travel documents and security inspection sheet;

- (h) identification of improvised explosive devices;
- (i) first-Aid;
- (j) crisis response and disasters management;
- (k) defensive driving (compulsory for the driver of Armoured vehicle and optional for others);
- (l) handling and operation of non-prohibited weapons and firearms (optional);
- (m) rudimentary knowledge of Indian Penal Code, right to private defense, procedure for lodging first information report in the police station, Arms Act (only operative sections); Explosives Act (operative sections);
- (n) badges of rank in police and military forces;
- (o) identification of different types of arms in use in Public and Police;
- (p) use of security equipments and devices (for example; security alarms and screening equipments); and
- (q) leadership and management (for supervisors only).
- (3) The security guard shall have to successfully undergo the training prescribed by the Controlling Authority.
- (4) On completion of the training each successful trainee shall be awarded a certificate in Form VIII by the training institute.
- (5) The training certificates issued to the guards/ supervisors from Training Institutes in one State shall be accepted in other State also.
- (6) The Controlling Authority shall inspect the functioning of training facility from time to time either by itself or through its own officers. Normally such inspection shall be conducted at least two times every year.
- (7) All the training agencies shall submit a list of successful trainees to the Controlling Authority in the manner prescribed by it.
- (8) Based on training completed and requirement of the job, private security agency may have their own designations provided that no agency shall adopt any of the ranks of the armed forces, paramilitary forces or State Police Forces.
- (9) The Controlling Authority either by itself or through its officers may verify the training and skills imparted to the private security guards and supervisors of any private training agency.
- (10) The Controlling Authority may review the continuation or otherwise of licence of such security agencies which may not have adhered to the conditions of trained personnel on its rolls.
- 9. Standard of physical fitness for security guards. (1) A person shall be eligible for being engaged or employed as security guard if he fulfils the standards of physical fitness as specified below:-
 - (i) Height, 160 cms (Female 150 cms), weight according to standard table of height and weight, chest 80 cms with an expansion of 4 cms (for females no minimum requirement for chest measurement).
 - (ii) Eye sight: Far sight vision 6/6, near vision 0.6/0.6 with or without correction, free from color blindness, should be able to identify and distinguish color display in security equipments and read and understand display in English alphabets and Arabic numerals.
 - (iii) Free from knock knee and flat foot and should be able to run one kilometer in six minutes.
 - (iv) Hearing: Free from defect; should be able to hear and respond to the spoken voice and the alarms generated by security equipments.
 - (v) The candidate should have dexterity and strength to perform searches, handle objects and use force for restraining the individuals in case of need.
- (2) A candidate should be free from evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public.

- (3) Agency shall ensure that every private security guard working for it undergoes a medical examination after every twelve months from his last such examination so as to ensure his continued maintenance of physical standard as prescribed for the entry level.
- 10. **Provision for Supervisors.** -(1) There shall be one supervisor to supervise the work of not more than fifteen private security guards.
- (2) In case the private security guards are on security duty in different premises and it is not practical to supervise their work by one supervisor, the agency shall depute more number of supervisors so that at least for every six private security guards there is one supervisor available for assistance, advice and supervision.
- 11. **Appeals and procedure.** Every appeal under sub-section (1) of section 14 of the Act shall be preferred in Form IX signed by the aggrieved person or his authorized advocate and presented to the Home Secretary to the State Government in person or in electronic or digital form or sent to him by registered post.
- 12. **Register to be maintained by the Agency.** The register required to be maintained under the Act by the Agency shall be maintained electronically in Form X.
- 13. **Photo identity card.**—(1) Every photo identity card issued by the Agency under sub-section (2) of section 17 of the Act shall be in Form XI.
- (2) The photo identity card shall convey a full-face image in color, full name of the private security guard, name of the Agency and the employee number of the individual to whom the photo identity card is issued.
- (3) The photo identity card shall clearly indicate the individual's position in the Agency and the date up to which the photo-identity card is valid.
- (4) The photo identity card shall be maintained up to date and any change in the particulars shall be entered therein.
- (5) The photo identity card issued to the private security guard shall be returned to the Agency issuing it, once the private security guard is no longer engaged or employed by it.
- (6) Any loss or theft of photo identity card shall be immediately brought to the notice of the Agency that issued it.
- 14. **Other conditions**.—(1) Notwithstanding whether the Agency mandates its private security guards to put on uniform while on duty or not, every private security agency shall issue and make it obligatory for its security guards to put on:
 - (a) an arm badge distinguishing the Agency;
 - (b) shoulder or chest badge to indicate his position in the organization;
 - (c) whistle attached to the whistle cord and to be kept in the left pocket;
 - (d) shoes with eyelet and laces;
 - (e) a headgear which may also carry the distinguishing mark of the Agency.
- (2) The clothes wear by the private security guard while on active duty shall be such that they do not hamper in his efficient performance. In particular they shall neither be too tight nor too loose as to obstruct movement or bending of limbs.
- (3) Every private security guard shall carry a notebook and a writing instrument with him.
- (4) Every private security guard while on active security duty shall wear and display photo-identity card issued under section 17 of the Act, on the outer most garment above waist level on his person in conspicuous manner.

Form I

(See rule 3, 5)

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE /RENEWAL OF LICENCE TO ENGAGE IN THE BUSINESS OF PRIVATE SECURITY AGENCY

	ENGAGE IN THE BUSINESS OF P	PRIVATES	SECURITY A	AGENCY	
То	The Controlling Authority				
	The Controlling Authority				
the are	The undersigned hereby applies for obtaining a area of Private Security Agencies	a licence to	run the busin	ess of operatin	g services in
1.	Full name of the applicant:				
2.	Nationality of the applicant:				
3.	Son/wife/daughter of:				
4.	Residential Address:				
5.	Address ,where the applicant desires to start his	Agency:			
6.	Name of the Private Security Agency:				
7.	Additional details of the Private Security Agence	cy (if applic	able):		
	(a) CIN No				
	(b) ESI No				
	(c) EPF No				
	(d) Labour Licence No				
	(e) Labour Registration No				
	(f) GST No				
	(g) Any other information				
	(h) Whether the Agency has FDI? (Yes/No)				
	If Yes, Give the following information;				
	(i) Country of FDI:				
	(ii) Name of foreign shareholder:				
	(iii) Address of foreign shareholder :				
	(iv) Year of investment:				
	(v) No. of shares:		•		
	(vi) Percentage of foreign shareholding:				
	(vii) Approval details of FDI:				
	(Please attach the relevant document of	f FDI appro	val.)		
8. Agenc	Name and addresses of Proprietor, partner, M	Iajority sha	reholder, Dire	ector and Cha	irman of the
S.No.	o. Management Type Na	ame	Address	DIN No. (if	ID Proof
	(Proprietor/partner/Majority shareholder/Director/Chairman)			held)	with no.

9.	Name and extent of facilities available:				
10.	(a) Does the applicant possesses the training facility in its own or will get it on outsourcing basis?				
	(b) If the applicant has own training facility, please provide the following information:				
	Name of training agency:				
	Address of Training agency:				
	Recognition details of Training agency:				
11.	Equipments which will be used for Security services				
	(a) Door Framed Metal Detector (DFMD)				
	(b) Hand Held Metal Detector (HHMD)				
	(c) Mine Detector				
	(d) Other Equipments				
	(i) Wireless Telephones				
	(ii) Alarm Devices				
	(iii) Armoured Vehicles				
	(iv) Arms				
12.	The particulars of the uniform including color. (Please attach color photo of uniforms).				
13.	Does the applicant intends to operate in more than one districts? If so the name of the Districts 1. 2. 3. 4. 5.				

14. Does the applicant intend to operate in the entire state? Yes/No

Signature
Name of the applicant
Address of the application
Telephone number of the applicant
Date of application

Enclosure:

- 1. Photo of the premises of the Agency.
- 2. ID Proof of all Management personnel.
- 3. Recognition details of training agency (if applicable).
- 4. Colour photo of uniforms.
- 5. Documents (if applicable) under the agency details given in Para 7 above.
- 6. Copy of current Income tax Clearance Certificate.
- 7. Affidavit as prescribed in Section 7 sub-section (2) of the Act
- 8. Other enclosures.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29

Form II

(See rule 3 and 5)

Form for verification of Antecedents of Applicant

NOTE: If the applicant is a company, a firm or an association of persons, this form shall be filled up by every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they are also the applicants.

Signature of the Applicant		
For official use only		
Form number	Antecedents verification issued by:	Date
Fee Amount RsC	ash /D.D D.D No	
Date of Issue		
	ETTERS: (CAUTION: Please furnish correct inform suppression of any factual information in the form t of licence)	
1. Name of applicant (Initials no		
Last name	First name	
	or name, please indicate the previous name(s) in full	
3. Sex (male / female) 4. Date of Birth (DD/MM/YYY 5. Aadhaar No 6. PAN No 7. Place of Birth: Village / Tow District 8. Father's Full Name/ Legal Grands Full Name (including processes) 9. Mother's Full Name (including processes) 10. If married, Full Name of Spanning Processes Residential Address		not allowed) (with PIN code)
Telephone No./Mobile No 12. Please give the date since re	esiding at the above-mentioned address: (DD/MM/YYYY)	,
14. If you have not resided at	the address given at COLUMN (11) continuously for ress (addresses) with duration(s) resided.	the last five years,
		

15. In case of stay abroad particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years
16. Other Details:
(a) Educational Qualifications. :
(b) Previous positions held if any along with name and address of employers:
(c) Reason for leaving last employment:
(d) Visible Distinguishing Mark:
(e) Last 3 years IT Return:
S.No. Assessment Year Copy of ITR enclosed (Yes/No)
1
2
3
(f) Affidavit incorporating the provisions of Section 6 of the Act enclosed: Yes/No
17. Did you earlier operated any Private Security Agency or were its partner, majority shareholder or Director? If yes then furnish the name, address of the Agency and its licence particulars.
18. Are you a citizen of India by: Birth/ Descent/Registration/Naturalisation: If you have ever possessed any other citizenship, please indicate previous citizenship
19. Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence and sentenced to imprisonment? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgment)
20. Is/Are any criminal proceeding(s) pending against you before a court in India? If so, give name of court, case number and offence
21. Self- Declaration: The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for
accuracy. (Signature of applicant)
Date
Place
Enclosures:
Eliciosules.
(Signature of applicant)
Form-III
(See rule 3(2)/ rule 5(1))
Affidavit
I

1. That the deponent is a citizen of India.

- 2. That the deponent has attained the age of 18 years.
- 3. That the details of the Proprietor/ Partners/ Directors (Please indicate the details of all the Partners/ Directors) are as under:

S.No.	Name of Proprietor/ Parts			Residential Address
	Directors	(Proprietor/ Director)	Partner/	

- 4. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been convicted of any offence in connection with promotion, formation or management of a company (any fraud or misfeasance committed by him in relation to the firm/agency/company), including an undischarged insolvent.
- 5. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been convicted by a competent court for an offence, the prescribed punishment for which is imprisonment of not less than two years.
- 6. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been -
 - (a) keeping links with any organisation or association which is banned under any law on account of their activities which pose threat to national security or public order; or
 - (b) indulging in activities which are prejudicial to national security or public order.
- 7. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been dismissed or removed from Government service on grounds of misconduct or moral turpitude.
- 8. That the firm/agency/company is registered in India and does not have a proprietor or a majority shareholder, partner or director, who is not a citizen of India.
- 9. That the deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company shall comply with the provisions of sub-section (2) of section 9 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) by ensuring availability/imparting of such training and skills to its private security guards and supervisors as prescribed.
- 10. That the deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company shall fulfill the following conditions of licence as stipulated under section 11 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005).
 - (i) prescribed training which the licensee is to undergo;
 - (ii) details of the person or persons forming the agency;
 - (iii) obligation as to the information to be provided from time to time to the Controlling Authority regarding any change in their address, change of management;
 - (iv) obligation as to the information to be provided from time to time to the Controlling Authority about any criminal charge made against them in the course of their performance of duties of the private security agency or as the case may be, a private security guard employed or engaged by them.
 - (v) Competent authority in the State Government/UT administration may verify about imparting of required training by the private security agency under sub-section (2) of section 9 of the Act and may review continuation or otherwise of licence of the private security agency if the agency have not adhered to the condition of ensuring the required training.

11. That the	nere are no cases registered with police or pending in court of law against the deponent.
	Or
	nere are cases registered with police or pending in court of law against the deponent. (Details e enclosed)
of lice Act, 20 under Author	ne deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company will comply, conditions not and in letter and spirit, with the provisions of the Private Security Agencies (Regulation) 005 (29 of 2005) and the relevant rules notified by the State Government/UT administration the Act and also comply with the instructions issued from time to time by the Controlling rity appointed under the Act, while managing private security agency with the name and title
	Deponent
conten	cation:- I,
	Deponent
Note:	(i) Point No. 4 to 8 relates to compliance of section 6 of the Act.
	(ii) Point No. 9 relates to compliance of section 9(2) of the Act.
	(iii) Point No. 10 and 11 relates to compliance of section 11 of the Act.
	(iv) Strike the points which are not applicable.
	From IV
	(See rule 3(10))
	GOVERNMENT OF
	Licence to engage in the business of Private Security Agency
Serial No	
Date	
Name of the Pa	rivate Security Agency:
Shri	(name of the Applicant)
S/o	r/o
	(Full Address)
	s granted the licence by the Controlling Officer for the State of
inapplicable w	un the business of Private Security Agency in the district(s) of / State of (strike of the ords)(address of the office)
Place of Issue	
Date of issue -	
This license is	valid up to
	Signature

Signature
Name of granting authority
Designation
Official Address

RENEWAL

			(See rule 5(4))			
Sl. No.	Date of Rene	ewal		Date of expir	y	
1.						
2.						
3.						
4.						
						a .
					N C :	Signature
					Name of renewi	•
						Designation
					Offi	cial Address
			Form V			
			(See rule 7(2))			
	For	m for verific	ation of Character a	and antecedent	s of	
	101		rity Guard and Supe		3 01	
		Secui	ity Guara and Supe	C1 V1301		
Signatı	are of the App	licant				
For official use						
Form number			intecedents verificat	tion issued by :		Date
Fee Amount R	ks(Cash /D.D	Name of Banl	k D.1) No	L
Date of Issue -						
		OCK LET?	TERS: (CAUTION	: Please fur	nish correct i	nformation.
Furnishing of	incorrect in	formation o	r suppression of a	ny factual inf	ormation in the	e form will
		_	loyment /engagemen			1cy.)
			ne photo-identity card	•	•	
			ame			
•			ease indicate the prev	. ,	full	
3. Sex (male/fe						
4. Date of Birth						
5. Aadhaar No.						
6. Place of Birt						
			nd Country			
7. Father's Full	Name/ Legal	Guardian's Fu	ıll Name (including s	urname, if any)		
8. Mother's Fu	II Name (inclu	ding surname	, if any): (Initials not	allowed)		

34	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(ii)]
9. It	f married, Full Name of Spouse (including surname, if any). (Initials not allowed)
10.	Present Residential Address, including Street No. /police station, village and District (with PIN code)
	Telephone No./Mobile No
11.	Please give the date since residing at the above mentioned address: DD/MM/YYYY
12.	Permanent Address including Street No./police station, village and District (with PIN code)
13.	If you have not resided at the address given at COLUMN (10) continuously for the last five years, please furnish the other address (addresses) with duration(s) resided.
	FromTo Address
14.	In case of stay abroad particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years.
15.	Other Details:
) Educational Qualifications:
` ') Previous posts held along with name and address of employer:
` ') Reason for leaving last employment:
,)Visible Distinguishing Mark on body:
	Height (cms):
` ′	Affidavit incorporating the provisions of Section 10 (1) & (2) of the Act enclosed: Yes/ No
	Are you working in Central Government/ State Govt/ PSU/ Statutory Bodies: Yes/ No
17.	Are you a citizen of India by: Birth/Descent/Registration/Naturalisation: If you have ever possessed any other citizenship, please indicate previous citizenship
18.	Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence & sentenced to imprisonment? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgment)
19.	Is/Are any criminal proceeding(s) pending against you before a court in India? If so, give name of court, case number and offence
20.	Has any court issued a warrant or summons for appearance or warrant for arrest or an order prohibiting your departure from India? If so, give name of court, case number and offence

^1	a 1	CD	1	
<i>,</i> , ,	\ \all	t I 10/	claration	٠
∠ı.	OCI	טעו	Jaianon	

The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for accuracy.

22. Finger Prints	S	t	t	Ĺ)	ľ	1	ľ	i	ľ	1)]	•	e	Q	ij	n	1	i	7	F			2	2	1
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---

	(Signature of applicant)
Date	
Place	
Enclosures:	
	(Signature of applicant)
Form-VI	
(See rule 7(2))	

Affidavit

- 1. That I am a citizen of India.
- 2. That I have attained the age of 18 years but have not attained the age of 65 years. My date of birth is......
- 3. That I have not been convicted by a competent court.
- 4. That I have not been dismissed or removed on grounds of misconduct or moral turpitude while serving in any of the armed forces of the Union, State Police Organisations, Central or State Governments or in any private security agency.

Deponent

Deponent

Note: The provisions of section 10(2) of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) may be printed at the back of affidavit for awareness of deponent as follows:

"Section 10. Eligibility to be a private security guard.

(2) No person who has been convicted by a competent court or who has been dismissed or removed on grounds of misconduct or moral turpitude while serving in any of the armed forces of the Union, State Police Organisations, Central or State Governments or in any private security agency shall be employed or engaged as a private security guard or a supervisor."

Date of issue

FORM VII

(See rule 7(6))

CHARACTER AND ANTECEDENT CERTIFICATE

(This certificate is issued	l under the provisions	s incorporated in t	he rules of
the Private Sec	urity Agencies (Regu	lation) Act, 2005	.)

This is to certify that Mr. /Ms., Son/Daughter of ----whose particulars are given below has good moral character and reputation and that the applicant has been the following address(es) continuously for the last one Date of Birth Place of Birth **Educational Qualification:** Profession: Present Address Permanent Address This certificate is issued on the basis of (Source of certificate) and shall be valid upto a period of five years from its date of issue. **Issuing Authority** Signature Name Designation Address/Tel.No. Date of Issue FORM VIII (See rule 8(5)) **Training Certificate** Serial number Name of the Training Agency Address of the Training agency Training Agency Recognition No..... [The recognition of this agency is valid upto.....(date)] son/daughter of Certified that resident of has completed the prescribed training for the engagement or employment as a Private Security Guard/Supervisor confirming to National Skill Qualification Framework (NSQF) standards from till . His signature is attested below. Signature of the Certificate Holder Signature of issuing authority Designation Place of issue

FORM IX

(See rule 11)

Form for Appeal

An Appeal under s	ection 14 of the Act	
Appellant		
S/o	r/o	
	Versu	s
Controlling authori	ity/	
Theorder of (Controll: Private Security Agrom namely	gency and sets forth the fo	(State Home Secretary) from the and against refusal of licence to run llowing grounds of objection to the order appeal
1.		
2.		
3.		
4.		
closed list of docum	ents	
		Signature
		Name and Designation of the Appellant
ate		
ace		

Form X

(See rule 12)

Register of Particulars

(Register A: Management details)

S.No.	Name of person(s) managing the Agency	Parent's/ Father's name	Present address& phone no.	Permanent Address	Nationality	Date of joining/leaving the agency
1.						

(Register B: Private Security Guards and Supervisor)

Sl. No.	Name of Guard/ Supervisor	Father's name	Present address & phone no.	Date of Joining/ leaving the Agency	Permanent Address	Photograph	Finger Prints	Employee No.	Salary with date, ESI, EPF numbers and Bank/Branch through which paid.
1.									
2.									

(Register C: Customers)

Sl.No.	Name of the	Address of	Number and	Date of	Date of
	Customer & phone	the place	ranks of	commencement of	discontinuation of
	no.	where	Security	services	services
		Security is	Guards		
		provided	provided		

(Register D: Duty Roster)

S.No.	Name of the Private Security Guard /Supervisor	Address of the place of duty	Whether provided with any arms/ammunition	Date and time of commencement of duty	Date and time of ending of duty

Form XI

(See rule 13)

Photo Identity card for Private Security Guard/Supervisor

(Name of the Private Security Agency)

Identity Card No	Colour
Name	Photo
Official Designation	
Employee no	
Blood Group	
Date of issue	
Valid up to	
Signature of the cardholder	
Signature of the issuing authority	
Official seal	

[F. No. 24021/8/2019-PM-1] VIVEK BHARADWAJ, Addl. Secy.